प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उ0प्र0।

पत्रांकः शि0नि0(बे0)/अ0शि0नि0(शिविर)/75703-75896 /2018–19 **दिनांकः** 23 जनवरी, 2019

विषयः **निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा–1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में ऑनलाइन प्रवेश हेतु गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों की मैपिंग के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक–शि0नि0(बे0)/अ0शि0नि0(शिविर)/73583–74000/2018–19 दिनांक 11 जनवरी 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करें जो कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा–1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में ऑनलाइन प्रवेश हेतु प्रक्रिया निर्धारण विषयक है।

आप अवगत है कि गत वर्ष विद्यालयों की मैपिंग करते समय आप द्वारा गलत वार्ड में विद्यालयों की मैपिंग कर दी गयी थी। इस सम्बन्ध में एन0आई0सी0 लखनऊ से विचार–विमर्श के उपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि समस्त विद्यालय जो पूर्व से मैप है तथा नवीन विद्यालय को जोड़ेन हेतु समस्त विद्यालयों को अनलॉक कर दिया गया है। आपसे अपेक्षा है कि गत वर्ष की भांति आप द्वारा की गयी त्रुटियों को ठीक किया जायेगा तथा विद्यालयों की मैपिंग का कार्य सावधानीपूर्वक किया जायेगा। विद्यालयों की मैपिंग हेतु आपको निर्देशित किया जाता है कि मैपिंग का कार्य निम्न निर्देशों के अनुरूप किया जाये–

1– समस्त गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों की सूची नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर MS Excel में तैयार कर रख लें तथा एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध करायें।

2– समस्त गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों की मैपिंग का कार्य वार्ड के अनुसार कराया जायेगा। गत वर्ष कतिपय जनपदों द्वारा गलत वार्ड में विद्यालयों की मैपिंग के कारण विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना अभिभावकों को करना पड़ा। अतः समस्त विद्यालयो को अनलॉक कर दिया गया है जिससे कि आप पूर्व से मैपिंग विद्यालयों मे संशोधन, नवीन विद्यालय जोड़ने, विद्यालयों को हटाने आदि का कार्य किया जा सके।

3– मैपिंग हेतु नये विद्यालयों को जोड़ने का कार्य भी अनलॉक है अतः नवीन विद्यालयों को यूडायस कोड के साथ जोड़ना सुनिश्चित करें।

4– **अल्पसंख्यक विद्यालयों** की मैपिंग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व से कोई अल्पसंख्यक विद्यालय त्रुटिवश अंकित हो गया है तो उस विद्यालय को डिलीट कर दें।

5– **ग्रामीण क्षेत्र** के विद्यालयों की मैपिंग नहीं की जायेगी।

6– मैपिंग का कार्य पूर्ण होने के पश्चात जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इस सम्बन्ध में **प्रमाण–पत्र** उपलब्ध करायेंगे।

कृपया अवगत हो कि **शैक्षिक सत्र 2019–20** में समस्त आवेदन पत्रों को एक चरण में ही सम्पादित करायी जायेगी। यदि आवश्यक प्रतीत होगी तो द्वितीय लॉटरी की प्रक्रिया विशेष परिस्थितियों में की जा सकती है, किन्तु यह प्रक्रिया बाध्यता का बिन्दु नहीं होगा। इसके दृष्टिगत विद्यालयों की मैपिंग का कार्य **दिनांक 15 फरवरी 2019** तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के क्रम में अभिभावकों से आवेदन प्राप्त करने, सत्यापन कराने व लाटरी के कार्यक्रम की तिथि पृथक से सूचित की जायेगी। आपसे अनुरोध है कि मैपिंग की प्रक्रिया त्रुटिरहित एवं शुचितापूर्ण ढंग से सम्पादित करें। इस कार्यालय से दिनांक 11.01.2019 को निर्गत पत्र में आपको पूर्ण प्रक्रिया हेतु नोडल अधिकारी बनाने के आदेश दिये गये थे। ततक्रम में नोडल अधिकारियों के नाम व मोबाइल नं0 इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध करायें।

भवदीय,

(ललिता प्रदीप)
अपर शिक्षा निदेशक(शिविर)
कृते शिक्षा निदेशक(बेसिक),
उ0प्र0,लखनऊ

पृष्ठांकन संख्या–शि0नि0(बे0)/75703-75896 /2018–19 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
2. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0, शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज।
5. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), समस्त मण्डल, उ0प्र0।

(ललिता प्रदीप)
अपर शिक्षा निदेशक(शिविर)
कृते शिक्षा निदेशक(बेसिक),
उ0प्र0,लखनऊ